संख्या-103/2024/2175/30-3-24-17बी/2016

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 02 सितम्बर, **2024**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-1302ए/2024-30ए/2024, दिनांक 07 अगस्त, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरंक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के कालम-6 में अंकित धनराशि रू0 440.00 लाख (रू0 चार करोड़ चालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कुल बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति कुल बजट प्राविधान	शासन द्वारा पूर्व में निर्गत धनराशि	वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
01-वेतन	2570.00	00	2570.00	2570.00	00
02-मजदूरी	10.00	00	10.00	10.00	00
03-मंहगाई भत्ता	1413.50	00	1413.50	1413.50	00
04-यात्रा व्यय	25.00	00	25.00	25.00	00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	80.00	12.00	92.00	80.00	12.00
06-अन्य भत्ते	60.00	44.00	104.00	60.00	44.00
08-कार्यालय व्यय	60.00	24.00	84.00	60.00	24.00
09-विद्युत देय	60.00	24.00	84.00	60.00	24.00
10-जलकर/जल प्रभार	50.00	00	50.00	50.00	00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.00	16.00	41.00	25.00	16.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	130.00	00	130.00	130.00	00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13-टेलीफोन पर व्यय	15.00	6.00	21.00	15.00	6.00
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	450.00	60.00	510.00	450.00	00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	00	10.00	10.00	00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	80.00	00	80.00	80.00	00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	8.00	00	8.00	8.00	00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	5.00	2.00	7.00	5.00	2.00
29-अनुरक्षण	200.00	00	200.00	200.00	00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	00	5.00	5.00	00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200.00	00	200.00	200.00	00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15.00	00	15.00	15.00	00
49-चिकित्सा व्यय	20.00	14.00	34.00	20.00	14.00
51-वर्दी व्यय	1.00	00	1.00	1.00	00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	00	0.00	0.00	00
55- मकान किराया भत्ता	155.00	00	155.00	155.00	00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.00		0.00	0.00	
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	900.00	298.00	1198.00	900.00	298.00
				कुल योग :	440.00 लाख

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04-03-2024 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15 (एस0पी0)-92टीसी, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49 (एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-103/2024/2175(1)/30-3-2024, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।